फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

जगदीश वगैरह बनाम सरकार वगैरह

मुकदमा संख्या/वर्ष : 173/2017

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		(प्रतिवादी सरकार) के वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 29/7/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। समय के अभाव में आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली पूर्ववत् वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। वकील प्रार्थी की पुनः मौखिक बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रावधानों के प्रा.पत्र,

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

जगदीश वगैरह बनाम सरकार वगैरह

वाद संख्या / वर्ष : 173/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तहसीलदार रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज का अवलोकन करने व बहस श्रवण करने पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोर्ट गुमास्ता तकमील नकल से फारिग हो तथा बाद इति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

20

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
173/2017	08/11/2017	12.08.2024

1. जगदीश पुत्र लाखा
2. कैलाश पुत्र लाखा
3. रूकमणी पत्नि लाखा
   जातियान ब्राहमण निवासी खरड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. प्रभू पुत्र लक्ष्मण
3. बालू पुत्र देवा
   जातियान बन्जारा निवासी खरड तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा तरमीम दुरूस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खरड पटवार हल्का भावनी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 163/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 177 रकबा 0.3800है0 अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अनुसार स्थित है। जिसके राजस्व नक्शें में हाल सैटलमेंट कार्यवाही में कब्जे काश्त व हक अधिकार के विरूद्व तथा साबिक राजस्व नक्शें के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.38है0 के कायम नवीन राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम करते हुए साबिक खसरा नम्बर 163/1 के तरमीमशुदा नक्शें के विरूद्व तरमीम कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण के साबिक राजस्व नक्शे मे अप्रार्थी सं0 2 व 3 के हाल नवीन खसरा नम्बर 176 अनुसार एवं अन्य खसरा नम्बर 178 की भूमि का तरमीम कर दिया गया तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं साबिक राजस्व नक्शें के विपरित प्रार्थीगण के नये खसरा नम्बर 177 का राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से पक्षकारों के कब्जे काश्त व मालिकाना स्वामित्व के अधिकार बाधित हो रहे है। प्रार्थीगण के साबिक कब्जे काश्त की भूमि में से खसरा नमबर 176, 178 की तरमीम अवैध है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 177 अनुसार तरमीमशुदा भूमि में अन्य के मकानात मय आवास पूर्व से निर्मित अनुसार चले आ रहे है। जिसमे प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम विधि विधान व वास्तविकता के विपरित है। अतः ग्राम खरड पटवार हल्का भावनी में स्थित प्रार्थीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 163/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अनुसार कायम राजस्व नक्शें के मुताबिक ही हाल खसरान म्बर 177 रकबा 0.38है0 के राजस्व नक्शें की तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार हाल नवीन खसरा नमबर 176 व खसरा नम्बर 178 के राजस्व नक्शों को दुरूस्तीकरण करते हुए प्रार्थीगण के साबिक नक्शेनुसार एवं पूर्वानुसार हाल राजस्व नक्शा कायम करने के आदेश फरमावें।

(21)

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 व 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र क्रमांक/ आर.टी. /2024/247 दिनांक 28.03.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम खरड के खसरा नम्बर 177 रकबा 0.38है0 किस्म बारानी2 कैलाश पुत्र लाखा हि0 1/3, जगदीश पुत्र लाखा हि0 1/3, रूकमणी पत्नी स्व0 लाखा हि0 1/3 जाति ब्राहमण सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम खरड के साबिक खसरा नम्बर 163/1 के हाल खसरा नम्बर 177 बना है। वर्तमान व साबिक नक्शा का मिलान किया गया जिसमें साबिक व वर्तमान खसरा नम्बर में अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम खरड, पटवार मण्डल भावनी, तहसील आंधी में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 163/1 के नवीन खसरा नम्बर 177 के हाल नक्शें को पूर्व नक्शानुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित लाल स्याही अनुसार नक्शा दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़